

छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर


अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 31/03/11

क्रमांक एफ-10/22/2011/वाक/पाँच (22) - चूँकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधानों के कियान्वयन से दिनांक 01.04.2011 की प्रभावशीलता से छूट प्रदान करती है।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(अजय सिंह)  
प्रमुख सचिव

रायपुर, दिनांक 31/03/11

क्रमांक एफ 10/22/2011/वाक/पाँच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/22/2011/वाक/पाँच(22), दिनांक 31/03/11 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(अजय सिंह)  
प्रमुख सचिव

✓

**Government of Chhattisgarh  
Commercial Tax Department  
Mantralaya  
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur**


**NOTIFICATION**

Raipur, Dated 31/03/11

No. F-10/ 22 /2011/CT/V ( 22 ) – Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Chhattisgarh Vritti Kar Adhinyam, 1995 (No. 16 of 1995), the State Government hereby exempts from the operation of all the provisions of the said Adhinyam with effect from 01-04-2011.

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh,

  
(Ajay singh)  
Principal Secretary